FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

औमपती बनाम तहसीलदार

मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट मु0 न0 34 सन् 2024 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.02.2024 को पेश हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

23/2/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/3/24 को पेश हो।

21/3/24 वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद समन तामील अनुपस्थित रहे, एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 16/4/24 को पेश हो।

16/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकला[?] उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 30/5/24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:55:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

30.05.2024 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम स्यालोदड़ा पटवार हल्का स्यालोदड़ा तहसील पाटन भूमि खसरा नं. 1458/1035, 1460/1036, 1462/867 कुल किता 3 कुल रकबा 0.16 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

आदेश

प्रा0 पत्र 34/2024
निर्णय दिनांक 30.05.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम स्यालोदड़ा पटवार हल्का स्यालोदड़ा तहसील पाटन स्थित खसरा नं. 1458/1035, 1460/1036, 1462/867 कुल किता 3 कुल रकबा 0.16 हैक्ट0 की प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 18.06.2023 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय [illegible] इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:55:15 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner